कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 25.08.2023

दिनांक-14/15.08.2023 की रात्रि काशी स्टेशन से बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या करने तथा उसके शव को झाड़ियों में फेंकने वाला अभियुक्त संजय बनवासी उर्फ पंडित, थाना आदमपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त महोदय व **श्री आर.एस. गौतम, पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी** के निर्देशन तथा श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी महोदय व श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के पर्यवेक्षण में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर काशी रेलवे स्टेशन के निकट झाड़ियों में मिले बच्ची के शव के सम्बन्ध में थाने में पंजीकृत मु0अ0सं0 85/2023 धारा 364/302/201 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त **संजय बनवासी उर्फ पंडित पुत्र जगदीश निवासी ग्राम बसई थाना सासाराम जिला रोहतास (बिहार) हाल पता काशी रेलवे स्टेशन** थाना आदमपुर वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष को दिनांक- 24/08/2023 को समय 17.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के सम्बन्ध में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 14/15.08.2023 की रात्रि में वादी मुकदमा पारस बनवासी पुत्र उमाशंकर निवासी हनुमानपुर थाना मुगसलराय जनपद चन्दौली अपनी पत्नी व 05 वर्षीय बच्ची के साथ काशी स्टेशन के प्लेट फार्म नं0 03 पर सो रहे थे कि रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को अपहृत कर हत्या कर शव को काशी स्टेशन के पास झाड़ियो में फेंक दिया था जिसके सम्बन्ध में थाना आदमपुर पर मु0अ0सं0 85/2023 धारा 364/302/201 भादवि पंजीकृत किया गया। मुकदमें में **दौराने विवेचना से बलात्कार की पुष्टि होने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376AB भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।** घटना के सफल अनावरण हेतु श्रीमान् डीसीपी काशी जोन **श्री आर0एस0 गौतम** द्वारा क्राइम टीम का गठन किया गया था। जिसके क्रम में

1. काशी रेलवे स्टेशन प्लेट फार्म न. 03 पर बच्ची के परिजन व अगल-बगल अन्य लोग भी सो रहे थे, दिनांक-15.08.2023 को लगभग 02 बजे रात्रि मृतका बच्ची का पिता जगा तो पाया कि बच्ची गायब थी।
2. बच्ची की काफी खोजबीन किया गया रात में ही जी.आर.पी व रेलवे सुरक्षा बल को सूचित किया उन्होने भी अपने स्तर से खोजबीन शुरू की परंतु बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला।
3. प्रातः 07 बजे के आस-पास झाड़ियों के पास बच्ची का शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुयी। पुलिस मौके पर पहुँची एवं डॉग स्कॉट एवं फील्ड यूनिट की टीम को सूचित किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी।
4. घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल डीसीपी काशी-जोन महोदय द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त, कोतवाली के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया।
5. गठित टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करते हुए संदिग्धों से पूछताछ की गयी तथा सर्विलांस की मदद से सीडीआर प्राप्त करने हुए अवलोकन किया गया व डीएनए सैंम्पल इकट्ठा कर फारेन्सिक लैब भेजवाया गया।
6. विवेचना से अभियुक्त संजय बनवासी उर्फ पंडित पुत्र जगदीश निवासी ग्राम बसई थाना सासाराम जिला रोहतास (बिहार) हाल पता काशी रेलवे स्टेशन थाना आदमपुर वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष का नाम प्रकाश में आया जिसे आदमपुर पुलिस द्वारा

गिरफ्तार किया गया जिसके क्रम में पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल किया। जिसकी निशानदेही पर मृतका बच्ची का अंतः वस्त्र बरामद किया गया तथा घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने गए कपड़े (खूना-लूदा) बरामद किए गए।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान –</u> दिनांक 24.08.2023, समय 17.30 बजे, गिरफ्तारी का स्थान- काशी रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों से थाना आदमपुर वाराणसी।

<u>बरामदगीः-</u> मृतका बच्ची का अंतः वस्त्र तथा घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने गए कपड़े (खूना-लूदा)

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u> संजय बनवासी उर्फ पंडित पुत्र जगदीश निवासी ग्राम बसई थाना सासाराम जिला रोहतास (बिहार) हाल पता काशी रेलवे स्टेशन थाना आदमपुर वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष (जंगलो से पत्ता तोड़कर बेचने का काम) जाति- बनवासी।

<u>अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने का कारण -</u> गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म कबूल करते हुए इस निर्मम घटना को अंजाम देने के पीछे का कारण बताया गया कि मृतका का पिता पारस बनवासी अपने साथियों के मिलकर उसको पत्ता बेचने में अक्सर परेशान करता था और उसका पैसा, मोबाइल ले लेता था जिस कारण वह हमेशा उसके परिवार से बदला लेने की नियत व रंजिश रखता था। उपरोक्त घटना भी उसके द्वारा बदला लेने की नियत से कारित की गयी है।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -</u>

1. प्र0नि0 अजीत कुमार वर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. व0उ0नि0 सूरज तिवारी थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 आदित्य सिंह थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. उ0नि0 मनोज कुमार राजपूत थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
5. उ0नि0प्र0 चन्दन कुमार थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
6. हे0का0 बहादुर यादव थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
7. हे0का0 नरेन्द्र कुमार यादव, थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
8. हे0का0 राजेश कुमार थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
9. हे0का0 मान सिंह थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
10. हे0का0 संजय वर्मा थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
11. हे0का0 संतोष कुमार यादव, सर्विलांस सेल कमिश्नरेट वाराणसी।
12. का0 अजय विक्रम सिंह थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

<u>नोटः-</u> हत्या का सफल अनावरण करने वाली टीम के प्रोत्साहन हेतु श्री आर0एस0 गौतम पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी महोदय द्वारा 20,000/- रुपये नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त,
जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी।